

ग्राम पंचायत बौदेड़ी, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2022 से 03/2024

भाग-एक

01. प्रस्तावना

(क) प्यारहेवं वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज

अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज

विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक

07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा

परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बौदेड़ी, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा

के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया

गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पंचायत बौदेड़ी में

निम्नलिखित प्रधान, सचिव एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत रहे हैं :-

प्रधान

क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम अवधि

1. श्री सिंघु राम 01-04-2022 से 31-03-2024

सचिव

क्रम संख्या सचिव का नाम अवधि

1. श्री बलदेव 01-04-2022 से 26-05-2023

2. श्री रमेश कुमार 26-05-2023 से 31-03-2024

(ख) ग्रामपौर अभियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत बौदेड़ी, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई ग्रामपौर अभियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

2

वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत बौदेडी, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्पा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक

2

भाग-टी

क्र. सं.	प्रा सं.	गणित अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
01.	8.2	बिना M (XV) फॉर्म के अनुचित कथ करने से सरकारी राजकोष को रूयल्टी के तौर पर राजस्व की भारी वित्तीय हानि बरे।	0.82
02.	8.3	प्रॉपर/टेक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) की सम्भावित वित्तीय हानि।	1.28
03.	8.4	ठेकेदारों/सविदाकारों से टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष की वित्तीय हानि बरे।	0.59
04.	8.5	निर्माण कार्यो से सम्बन्धित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बरे।	26.63
05.	9.1	मानरेगा अनुदान के व्यय/भुगतानों में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बरे।	19.72
06.	9.4	कथ सामान/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर इन्वॉज न करने बरे एवं पंचायत अनुदानों के स्टॉक रजिस्ट्रों में पाई गई विविध अनियमितताओं बरे।	0.77
07.	9.6	मानरेगा अनुदान के तहत सामग्री पर तथ अनुपात से अधिक का व्यय करना।	7.59
08.	9.3	निर्माण कार्य के दौरान शेष बची सामग्री का सम्भावित दुरुपयोग करने बरे।	0.05

द्वारा दिनांक 13-05-2024 से 20-05-2024 तक ग्राम पंचायत बौदेड़ी के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समझाए गए हैं।

क्रम संख्या **वित्तीय वर्ष** **आय चयनित माह** **व्यय चयनित माह**

1.	2022-2023	09/2022	05/2022
2.	2023-2024	06/2023	02/2024

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निबंधक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण की उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत बौदेड़ी, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹5600/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निर्देशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधिपानना संख्या SAD/CBA/2024/12 दिनांक 20-05-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत बौदेड़ी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4 (अ) स्व-स्रोत व अनुदान

ग्राम पंचायत बौदेड़ी के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्व-स्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 व 2 में भी दिया गया है:

1. स्व:-स्रोत (3RD/5TH State FC)

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	295404.80	466756.50	762161.30	454122.00	308039.30
2023-24	308039.30	188730.00	496769.30	273288.00	223481.30

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	1911303.80	13945640.00	15856943.80	14245325.10	1611618.70
2023-24	1611618.70	12804948.00	14416566.70	12206550.00	2210016.70

नोट: उपरोक्त स्व:-स्रोत के अंतर्गत अन्य अनुदान जैसे 3rd/5th स्टेट का पंचायत द्वारा एक बैंक खाता व एक ही रोकड़ बही में संधारण किया जा रहा है। (कंपया पूर्ण विवरण पैरा संख्या 10.3 पर देखें) जिससे कि, उक्त स्व:-स्रोत की वास्तविक राशि को पृथक तौर पर नहीं दर्शाया जा सकता है।

कुल योग (1 + 2) ₹223481.30 ₹2210016.70 ₹2433498.00

(ब) ग्राम पंचायत बौदेडी, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्पा (हि.प्र.)

दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तर्शेष का विवरण

क्र०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि	सं०
1.	15वां वित्तियोग	17710113112	HPSCB Bhanjratu	580803.40	
2.	14वां वित्तियोग	17710110538	HPSCB Bhanjratu	00	
3.	SBM	6708000100069416	PNB Bhanjratu	00	
4.	1A/RAV/MMAY	99241302402529	HPGB Bhanjratu	58510.00	
5.	RGSA	177101111883	HPSCB Bhanjratu	17577.00	

पंचायत द्वारा परिशिष्ट 1 व 2 पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सेवा के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशिओं में से

6.1 विकासत्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹22.10 लाख का अवरोधन :-

जाये।

अतः भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया

करवा दिया जाएगा।
अतः भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवा दिया जाएगा।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधिपत्रिका संख्या-10 दिनांक 17-05-2024 के प्रसूतर में सविब द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अन्तर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत कराया जायेगा।
जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।
के अन्तर्द्वारा में राशि ₹179134.80 का अन्तर बैंक पासबुक में कम दोष के रूप में है।
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण (वित्त, बजट, लेख, संकर्म, करारान व भूत) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत बौदेही द्वारा हिण्डा पंचायती राज अन्तर्द्वारा में राशि ₹1.79 लाख का अन्तर :-

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के

अन्तर (अ-ब) ₹2433498.00 - ₹2254363.20 = ₹179134.80

6.	VKVN/ICDS	17710103134	HPSCB Bhanjara	1485956.80
	MPLAD/MMGPV/ SDP/CRF VMJS etc./SABHA NIDHI/3rdState		Cash in hand	111516
			TOTAL	₹2254363.20

दण्ड लागाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के धारा 114 के अन्तर्गत गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर वार्षिक मांग व मात बकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पत्ति कर की ग्राम पंचायत बौदेही के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पत्ति नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भुगीदार होगा।

1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करे तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वर्सूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खाली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, हिं प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेख, संकर्म, करधान व भत्ते) नियमावली

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.08 लाख की वर्सूली न करने बारे :-

सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अग्रगत करवाया जाये। सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करने हेतु अनुदान के व्यय हेतु कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अतः अनुदान राशि को 17-05-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधीयान्वना संख्या-10 दिनांक

प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

अनियमितता सम्बन्धित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को द्वारा विभिन्न विकाससाधक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को ₹2210016.70 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत

निम्नलिखितानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वर्सूली गई राशि ₹1025/- को अभिलेखों के नमूने अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह 2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वर्सूली करने उपरान्त वर्सूली गई राशि विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)/8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वर्सूली करने उपरान्त वर्सूली गई राशि दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, विभागत प्रदेश विवाह रजिस्ट्रार अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हिंमो

बारे :-

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करवाने

की अवगत करवाया जाए।

सम्पत्ति/गृहकर की वकामा राशि की शीघ्रातिशीघ्र वर्सूली करके अनुपालना से अंकेक्षण है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गौर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः की वर्सूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक प्रत्यक्ष में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधिसूचना संख्या-11 दिनांक 18-05-2024 के

वर्ष	अधोष	पंजीकृत परिवारी की संख्या	दर प्रति परिवार	वर्ष के दौरान माँ	कुल योग	वर्ष के दौरान वर्सूली	वर्ष के दौरान वर्ष राशि
2023-24	98	394	20	7880	7978	0	7978
2022-23	16320	394	20	7880	24200	24102	98

बोध थी।

आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्नलिखित ₹7978 की राशि वर्सूली हेतु

। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत निधान प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पत्तियों का (उनके वार्षिक मूल्य पर)

-: 1176

8.1 राश्ट्रिय सम्पत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पत्तियों को दर्ज न

1. ክብር ዘክርዐ ሀይለማርያም

[illegible]

। ममिहम ममु मरक मम म कलार डकरत डे डडु सेन मरहन मुनेव

इस सम्बन्ध में जारी अध्यापना संख्या-11 दिनांक 18-05-2024 के प्रत्युत्तर में पंवापत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहे गया कि, विवाह पंजीकरण शिक्क की

वर्ष	कुल	पूजाकुल	विवाह	वर्ष	कुल	पूजाकुल	विवाह	
2022-	12	02@200	0	400	10@25	0	250	650
2023								
2023-	08	01@200	0	200	07@25	-	175	375
2024								
कुल	20	03@200	-	₹600	17@25	-	₹425	₹1025

। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

परन्तु ग्राम पंचायत बौदेही, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्पा की अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्ति: अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से अज्ञापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म लिए बिना ही रेत, बजरी व पथर ड्र्याडि की आपूर्ति ली गई है। जिससे कि, न केवल कामों के लिए बिना ही रेत, बजरी व पथर ड्र्याडि की आपूर्ति ली गई है। जिससे कि, न केवल अवैध खनन हुआ अपितु अनाधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से क्रय करने के कारण सरकार को

आदेशित किया गया था।

सम्बन्धित ठेकेदारों से रॉयल्टी कटने एवं उक्त राशि को सरकार को भुजने के लिए दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 द्वारा भी समस्त प्रधानों/सचिवों को रेत, बजरी तथा पथर की अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त तीसा विकास खण्ड अधिकारी के कार्यालय पत्र संख्या 7018 खनन विभाग से अज्ञापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म प्राप्त कर सम्बन्धित पंचायत को देना विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को माइनिंग रॉयल्टी/रेटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश माइनर मिनेरल्स (कन्ट्रोल) एवं मिनेरल्स (प्रिवेशन ऑफ इलीगल

रॉयल्टी के तौर पर राशि ₹0.82 लाख के राजस्व की भारी वित्तीय हानि :-

8.2

ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना M-फॉर्म के अनिवार्य क्रय करने से सरकार को

को अग्रत करवाया जाए।

राष्ट्रीय सम्पत्ति निर्देशिका एन्लीकेशन में कर दिया जायेगा। कृत अनुपालना से अंकेक्षण प्रत्यक्ष में सविध द्वारा संचित किया कि, पंचायत की सभी चल-अचल सम्पत्तियों का इन्वॉल्यूट इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्यायना संख्या-10 दिनांक 17-05-2024 के अवहेलना है।

किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एन्लीकेशन में नहीं को इन्वॉल्यूट/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों सम्पत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पत्तियों एवं किसे गए कार्यों ग्राम पंचायत बौदेही के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय

यह न केवल अनिवार्य प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर/टैक्स बिल के अभाव में सरकार को है जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकती। बिल/कम्यूटर जनरेटड न होकर केवल सादे कागज, रसीद, कैश में भी व परकोमा बिल हो अप्रतिर्कृत GST पंजीकृत नहीं है। फर्मा द्वारा पंचायत को प्रस्तुत बिल प्रॉपर/टैक्स संलग्न परिशिष्ट "4" में दिया गया है।) किया गया था परन्तु उक्त कथ सामग्री के अधिकतर खरीद गई थी एवं पंचायत द्वारा इनके राशि ₹2690132/- भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न अप्रतिर्कृतियों से रेत, बजरी व पथर इत्यादि की ग्राम पंचायत बौदेडी के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत पथर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹1.28 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

8.3

प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

अंतर्गत कार्टवार्ड की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्टवार्ड/अनुपालना से लेखा परीक्षा अतः इस अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अतः विभाग के नियमों के एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आठेरा की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। यह अतः उक्त प्रकार से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव हो रहा है अपितु

विभाग को यथाशीघ्र अवगत करा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। लिए गए लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्टवार्ड अमल में लाकर होने के अभाव में अप्रतिर्कृतियों से रॉयल्टी की न तो कटौती की गई और न ही M फॉर्म सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, नियमों की जानकारी न दिनांक 16-05-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधिपान संख्या SAD/CBA/2024/04

की वित्तीय हानि भी हुई है।

राशि ₹81772.18 (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "4" में दिया गया है।) की रॉयल्टी

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C) के अनुसार यदि कर्तृ को करने पर किसी ठेकेदार को एक वित्तीय वर्ष में ₹100000/- या अधिक की अदायगी अथवा एक बार में ₹30000/- या अधिक की अदायगी की जाती है, तो भुगतानकर्ता/आहेरण व सवितरण अधिकारी, ठेकेदार/सविदाकार के बिना पर आय स्रोत पर कर (TDS) व्यक्ति

राशि ₹0.59 लाख की वित्तीय हानि बसे :-

8.4 ठेकेदारी/सविदाकारी से टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण सरकार को

नकारा जा सके।

प्रकार से सरकारी धन के दुरुपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णतः लाया जाता है कि, ऐसे प्रकारों की गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी अवगत करवाया जाये। यह गम्भीर प्रकारण उच्चाधिकारियों के समक्ष ड्रेस आक्षेप से सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाड़े जाये एवं कर्त अन्वयान से लेखा परीक्षा विभाग को भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त उक्त राशि की उचित स्रोत से वसूली करके के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमाविरुद्ध किसे गए कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अन्वर्तन रिपोर्ट अतः उक्त प्रकारण को न्यायोचित ठहराया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि

अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में देय बिलों पर ही भुगतान किया जायेगा।

मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कर्त करवाड़े से शीघ्र ही अंकेक्षण विभाग को सकारा कि वास्तव में GST की सरकारी राजकोष में जमा करवाया गया है या नहीं ड्रेस गया है परन्तु ड्रेस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा भुगतान किया जा रहा है यद्यपि पंचायत द्वारा इन बिलों पर भुगतान GST सहित किया द्वारा पंचायत को केवल सादे कगल, रसीद, कैश मेमो व कुछ परकोमा बिलों पर ही द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त पत्र द्वारा सूचित कि, उक्त आपूर्तिकर्ताओं सविब के ध्यानार्थ वसुिस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सविब उक्त गम्भीर प्रकारण अंकेक्षण अधिवाचना संख्या 03 दिनांक 16-05-2024 द्वारा

हानि भी हुई है।

देय वसुि व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹128101.53 की सम्भावित वित्तीय

क्रम/	वाउचर /	दिनांक	सामग्री	आपूर्तिकर्ता	भुगतान की गई राशि	TDS @ % 2
1. VKVNY	7 to 10/	26-07-2022	Excavation	M/S Yusav Khan S/O Nizam Deen PO Ganed, Tissa Chamba	121hour@3 500 =423500	8470
2. VKVNY	11 to 14/	22-08-2022	Excavation	M/S Dhani Ram Govt. Contractor PO Tarella, Tissa Chamba	142hour@3 500 =497000	9940
3. VKVNY	15 to 19/	01-09-2022	Excavation	M/S Yusav Khan S/O Nizam Deen PO Ganed, Tissa Chamba	106hour@3 500 =371000	7420
4. 15 TH FC	49-50/	11-10-2022	Carriage of Stone 77m3 @800	M/S Deep Chand S/o Sh. Lal Chand VPO Bouderi, Chamba	61600	1232
5. VKVNY	13/	27-10-2023	Excavation	M/S Yusav Khan S/O Nizam Deen PO Ganed, Tissa Chamba	57Hour@3 500 =199500	3990

है।

आप पंचायत बौदेड़ी के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न विवरणानुसार राशि ₹2969200/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जोकि न केवल आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना है अपितु इसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में राशि ₹59384/- (2%) की वित्तीय हानि हुई है।

को सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाएगा।

की दशा में 1% तथा फर्म की दशा में 2% आयकर की कटौती करेगा तथा की गई कटौती

तकनीकी स्तर पर निम्न विवरणानुसार राशि ₹2663000 करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, ग्राम पंचायत बौदेड़ी की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता एवं प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुष्टिका व नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी वि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, संकर्म, कराधान व भूत)

न करना :-

8.5 कनिष्ठ अभियंता स्तर पर राशि ₹26.63 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन एवं मापन पुष्टिका इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत

विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

समयावधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं केवल अनुपालना से लेखा परीक्षा भविष्य में टी.डी.एस. की कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में निधिरित विभागीय स्तर पर जाँच करके अपेक्षित टी.डी.एस.की वसूली करना सुनिश्चित करें एवं नमूना/व्यपित माहों के ही भुगतानों को जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जाँच है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल की अवहेलना है परन्तु सल्लाह/ठेकेदार को अनिवार्य लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी अतः पंचायत द्वारा टी.डी.एस की कटौती न करना, न केवल आयकर अधिनियम

भविष्य में नियमित तौर पर कटौती की जायेगी।

कोष में जमा करवा कर केवल कटौती से विभाग को अवगत कराया दिया जायेगा एवं कहा गया कि, टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित संविदाकारों से करने एवं उसे सरकारी 16-05-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधिवाचना संख्या-05 दिनांक

6.MGREGA	Nil/	Carriage of stone	As per Detail attached in annexure "4"	1416600	28332
29-02-2024				₹2969200	₹59384

मन्त्रालय अर्जुन के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट "4" के अनुसार राशि ₹1992070 का ग्राम पंचायत बौदेड़ी के व्यय के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा

विविध अनियमितताओं बारे :-

9.1 राशि ₹19.92 लाख के स्टोर/स्टॉक के व्यय भुगतानों में पाई गई विनीय व अन्य

अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
कारण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जा सके। उत्तर तक संगत नहीं है। अतः उक्त बांछित कार्यों के समस्त अभिलेख कनिष्ठ अभियंता के पास विकास खंड कार्यालय में पाई है इस इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त सचिव को उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। इस बारे अंकेक्षण अध्यापना संख्या-09 दिनांक 17-05-2024 द्वारा पंचायत

क्रम	संख्या	कार्य विवरण	स्वीकृत राशि	टिप्पणी
1. BASP	कार्य: अतिरिक्त दो कमरे	800000	MB, UC, Estimate Work Order and Technical sanction order etc.	
2. MMGPY	कार्य: जीप योम्य सड़क थड़ा से बेग	500000		
3. MGREGA	कार्य: लैंड डेवलपमेंट वर्क	500000	do	
	क्याज-1			
4. MGREGA	कार्य: प्रोटेक्शन वर्क बाई	462000	do	
	बौदेड़ी			
5. MGREGA	कार्य: क्रेट वर्क डोनडयरी	401000	do	
	बौदेड़ी			
	कुल योग	₹2663000		

तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका, प्रपत्र-34 उपयोजिता प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त स्तर पर किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणीकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

करवाया जाये।

में नियमानुसार अभिलेखित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथार्थीय प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्योयचित ही क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः इसे सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रचायत द्वारा भुगतान किया गया है भविष्य में प्रॉपर टैक्स बिलों एवं मान्य GST धारकों से आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इसे प्रकार के बिलों पर दावे किये गए हैं जिनका समय-समय पर प्रचायत सहित द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, अधिकतर 2024 द्वारा प्रचायत सहित को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में इसे गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधिधायना संख्या 07 दिनांक 16-05-

के तौर पर राजस्व का भी जुबसान हुआ है।

कि न केवल बिलों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी अपितु इससे सरकार को GST प्रचायत द्वारा स्टोर/स्टॉक के क्रय हेतु अधिकतर आपूर्तिकर्ता GST पंजीकृत नहीं है जिससे 2. प्रचायत द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पाया गया कि, अभिलेखीकृत सहित भुगतान हेतु दिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है।

एवं बिल संख्या प्रचायत द्वारा बिलों पर स्वयं आवंटित की गई है यह बिल सादे कागज पर TIN संख्या, बिल क्रमांक इत्यादि अंकित नहीं है एवं बिलों पर दिनांक भी हस्तालिखित है बिल इत्यादि के प्रारूप में ही दिए गए हैं इस पर वेन्चर/आपूर्तिकर्ता का विवरण, GST/टैक्स इनवाइस, कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल सादे कागज, रसीद, कैश मीमा, परकोमा 1. प्रचायत द्वारा स्टोर/स्टॉक के क्रय हेतु अधिकृत विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत बिल प्रॉपर

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे

प्रतीत नहीं होता।

कि अधिकतर बिल प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर सादे कागज पर रसीद मात्र है जोकि उचित भुगतान स्टोर/स्टॉक के क्रय की एवज में किया गया परन्तु इन बिलों के अवलोकन में पाया

परिक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

भंडारण एवं निर्गम क्रिया जाना सुनिश्चित किया जाए तदनुसार कृत कार्रवाई से लेखा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, गार्ड समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्रोत से करके सन्तुष्टि निधि में जमा नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की अतः इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्यान्तर स्वीकृति लेकर इस व्यय को

होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

क्रय क्रिया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कूटेशन के क्रय करना संहित प्रतीत कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त अकेक्षण अध्यायना संख्या-06 दिनांक 16-05-2024 द्वारा उक्त प्रकारण सचिव

अनियमितता है।

अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, जोकि एक गम्भीर पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि ग्राम उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की बिना ही किया गया। (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "3" में दिया गया है।) जोकि बौदेजी द्वारा राशि ₹283903/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत

सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि प्राप्ति है।

की औपचारिकतायें यथा निविदायें, कूटेशन (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने दि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेख, सक्रम, कराधान व भूत व नियमावली

के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

9.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹2.84 लाख

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेख, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है, उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और गुरंत स्टॉक

लाख के कम सामान/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर इन्वॉल न करने बारे :-

9.4 पंचायत के स्टॉक रजिस्टर में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे एवं राशि ₹0.77

अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

की पंचायत स्तर पर छानबीन उपरान्त अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तथा कृत (6.38@800) की प्रतिपूर्ति करके शीघ्र ही खाते में जमा करवाई जाये एवं अन्य ऐसे मामलों द्वारा सत्यापित करवा लिया जायेगा। अतः उक्त प्रकरण में शेष सामग्री की राशि ₹5104 गया कि सामग्री की प्रतिपूर्ति करके एवं भविष्य में मापन पुस्तिका को सक्षम अधिकारी के ध्यानाधीन वसूली स्थिति स्पष्ट करने हेतु जाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया अंकेक्षण अध्याचना संख्या-07 दिनांक 16-05-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव

अनुचित व संदिग्ध प्रतीत होता है।

अतिरिक्त मापन पुस्तिका को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया था जो स्टॉक में बकया शेष दर्शाया गया और न ही इसकी आगे कोई खपत दिखाई गई। इसके मीटर थे इस प्रकार शेष बची सामग्री (87- 80.62) 6.38 क्यूबिक मीटर पर्यंत का न तो क्यूबिक मीटर दर्शाई गई है जबकि उक्त कार्य हेतु कुल उपलब्ध/कम पर्य 87 क्यूबिक संख्या 18445 पृष्ठ संख्या 60 में मद संख्या 3 के अंतर्गत पर्यंत की कुल खपत 80.62 विन्यास के अंतर्गत कार्य फुटपाथ क्योडा-2 से शमशानघाट के अंतर्गत मापन पुस्तिका ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा 15वें

में प्रविष्ट किया जायेगा।

, उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और गुरंत स्टॉक रजिस्टर 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है हिंमपंचायती राज (वित्त, बजट, लेख, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली

दुरुपयोग करने बारे :-

9.3 निर्माण कम के दौरान बची हुई शेष सामग्री राशि ₹0.05 लाख का सम्भावित

करवाई से लेखा परीक्षा को अंगीकार करवाया जाये।

जैसे अस्थायी मामले में नियमानुसार अपेक्षित करवाई अमल में लाई जाये तदनुसार केंद्रों से लाई जाती है। अतः नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को स्वीकृत ठहराया किया जा सकता है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो कि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष अनियमितताओं के दृष्टिकोण से सामग्री विशेष के दुरुपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं समय पर कच स्टोर/स्ट्रॉक का स्ट्रॉक रजिस्टर में इन्टरज न किया जाने एवं अन्य विविध अपेक्षित करवाई अमल में लाई जायगी। चूँकि यह न केवल नियमविरुद्ध है अपितु समय-संश्लेषित किया कि स्टोर/स्ट्रॉक के भंडारण, जारी करने के संबंध में भविष्य में नियमानुसार अंकेक्षण अधिधायन संख्या-07 दिनांक 16-05-2024 के प्रत्युत्तर में संश्लेष, द्वारा

सकता है।

है अपितु इससे कच स्टोर/स्ट्रॉक की दृष्टिकोण की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। अतः स्ट्रॉक रजिस्टर का संधारण न करना न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना सिद्ध है अपितु भी अधिकतम न होना, प्राप्त स्टोर/स्ट्रॉक का परिक्षण, गणना माप-तोल एवं अभिलेखिकी/हस्ताक्षर के बिना प्राप्त स्टोर को एक साथ जारी करना एवं जारी करने की उक्त नियमानुसार नहीं रखे गए थे। स्टोर को जारी करने हेतु मांगपत्र, प्राप्तकर्ता की राया कि, स्टोर/स्ट्रॉक की प्राप्ति, उसे जारी करने, उसका भण्डारण करने एवं स्टोर के लेखे 2. ग्राम पंचायत द्वारा अन्य अनुदानों हेतु संधारित स्ट्रॉक रजिस्टर के अवलोकन में पाया

दृष्टिकोण की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

के अभाव में उक्त कच किसे गए सामान की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी एवं इसके नहीं की गई है। जो कि न केवल उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है अपितु स्ट्रॉक प्रविष्टि परिक्षण "5") राशि ₹ 77079/- का सामान कच किया गया। परन्तु उसकी स्ट्रॉक प्रविष्टि 1. ग्राम पंचायत बौदेडी के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा (संलग्न

आवश्यक है। पंचायत के नमूना अंकेक्षण में निम्नवर्ति अनियमितताएँ पाई गई :-

रजिस्टर में प्रविष्टि किया जायेगा एवं नियम 70 से 72 में वर्णित विभिन्न नियमों की अनुपालना

अंशेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़ बही के अनुसार निम्न नही होना चाहिए।

अनुपात अधिनियम में निर्धारित 60:40 (मजदूरी व सामग्री) के न्यूनतम मापदंड से कम किये जाने के नियम प्रावधान है। जिसके अंतर्गत मजदूरी लागत का भौतिक लागत से 2013) **नियम 7.4** के अंतर्गत पंचायत स्तर पर मजदूरी व सामग्री को तय अनुपात में खर्च

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश 2013 (MNRGA Operational Guidelines) **अधिक व्यय करने बारे :-**

9.6

मनरेगा अनुदान के अंतर्गत सामग्री पर तय अनुपात से राशि ₹7.59 लाख का

अमल में लाई जाये तदनुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

कार्यप्रणाली को स्याचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। अतः नियमविरुद्ध अपनाई गई इस अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि सुचित किया कि मनरेगा के अंतर्गत क्रय स्टोर/स्टॉक के सम्बन्ध में भविष्य में नियमानुसार अंशेक्षण अधिपानना संख्या-07 दिनांक 16-05-2024 के प्रत्युत्तर में सविब, द्वारा स्टोर/स्टॉक के दृष्टिगोचन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

विवरण भरा गया है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्याचित किया गया था और न ही इसके अधोष, अन्तर्षोष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रति का परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहयक द्वारा न तो 2023 एवं 2023-2024 के दौरान कुल ₹7423841.86 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के मनरेगा ऑनलाइन निर्माण सामग्री (मटेरियल) रजिस्टर के

अनियमितताओं बारे :-

9.5 मनरेगा निर्माण सामग्री (मटेरियल) रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध

इस सन्दर्भ में जारी अध्यायना संख्या-07 दिनांक 16-05-2024 के प्रत्यक्ष में सचिव, ग्राम पंचायत बौदेड़ी द्वारा आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया सकी।

जा सकता एवं न ही किये गए भूगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा भी प्रतीत होता है जिसके अंतर्गत राशि के दूर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा भूगतान किये गए थे जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु यह संदिग्ध प्रधान द्वारा एकल हस्ताक्षर से ही संलग्न परिशिष्ट "5" के अनुसार राशि ₹283903/- ग्राम पंचायत बौदेड़ी के नमूना/व्ययित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरूरी है।

भूत) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भूगतान हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेख, संपरीक्षण, संकर्म, करधान व भूगतान करने बारे :-

9.7 पंचायत प्रधान के एकल हस्ताक्षर द्वारा ही राशि ₹2.84 लाख का अनियमित

करवाया जाय।

नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर केत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत व्यय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जाणी। अतः उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, मनरेगा के अंतर्गत तय अनुपाल से सामग्री के अधिक इस सन्दर्भ में जारी अध्यायना संख्या-07 दिनांक 16-05-2024 के प्रत्यक्ष में

कम.	वित्तीय वर्ष	कुल व्यय (₹ लाखों में)	मजदूरी पर व्यय (₹ लाखों में)	व्यय प्रतिशतता	सामान पर व्यय (₹ लाखों में)	प्रतिशतता
1.	2022-23	108.12	64.24	59.42%	43.88	40.58%
2.	2023-24	104.92	55.99	53.37%	48.93	46.63%
					₹759046	+7.21%

अवहेलना है अपितु मनरेगा योजना के मौलिक उद्देश्य "ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने" को भी हतोत्साहित करता है।

क्र०सं०	निर्माण कार्य	मस्ट्रो	संख्या	दिनांक	वर्तमान/राशि
1.BASP	कार्य: अतिरिक्त दो कमरे	12812		13-04-2022	41250
2.MMGPR	कार्य: जीप योग्य सड़क	12967		21/	51100
	थड़ा से बेग			01-09-2022	

एवं समिति की लिखित स्वीकृति का विवरण अपूर्ण पाया जाना।

1. मस्ट्रो पर सर्वकारीय समिति के हस्ताक्षर न करवाना।
2. प्रधान एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान करना।
3. मस्ट्रो में दर्ज कुल मजदूरी की उपस्थिति को प्रधान द्वारा सत्यापित करना।
4. मस्ट्रो में अन्य विवरण जैसे: प्रस्ताव संख्या, दिनांक, कार्य का नाम, कार्य शुरू करने

जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमितताएँ पाई गई :-

पंचायत द्वारा अग्रतलिका के विवरणानुसार कुल राशि ₹234262/- का व्यय किया गया। निष्पादित निर्माण कार्य का निरीक्षण करेगी। पंचायत के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सर्वकारीय समिति पंचायत द्वारा है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेख, संपरीक्षण, संकर्म, कराधान व भत्ते)

अनियमितताओं बारे :-

9.8 राशि ₹2.34 लाख के मस्ट्रो के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध

करवाया जावे।

नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कुल अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत अतः नियमों के विरुद्ध किये गए भुगतानों को न्यायवित्त ठहराया जाये अन्यथा मामले में कि, भविष्य में सारे भुगतान प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेगा।

शाम पंचायत बौदेड़ी के अकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा समस्त अनुदानों व स्व-स्रोतों की रोकड़बहियों का संधारण ऑनलाइन न करके मैनुअल ही किया जा रहा है एवं मैनुअल संधारित रोकड़बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया गया था। इसमें न तो अधशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transactions के प्रानिश्चित योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध है अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट 1 व 2 में लिए अधशेषों व अंतशेषों को सन्धानित किया जा सका। पंचायत द्वारा न ही ऑनलाइन रोकड़बहियों एवं मनरेगा रोकड़बहियों को अकेक्षण में सन्धान हेतु उपलब्ध करवाया गया। ऐसी स्थिति में बैंक से

किया जाना अपेक्षित है।
निम्नावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सक्कर्म, करधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव 10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।
करवा दिया जायेगा। अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त वर्णित सचिव के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव अकेक्षण अधिपतिना संख्या 08 दिनांक 16-05-2024 के द्वारा उक्त प्रकारण को

			योग		
			कुल	कुल	
3.15 th FC	कार्य: फूट पाथ कपोड़ा से	12914	43/	29-08-2022	84680
4.1 th FC15	कार्य: केंडादान वार्ड	12959	47/	29-08-2022	28552
5.15 th FC	कार्य: केंडादान वार्ड	12947	48/	30-08-2022	28680
	बौदेड़ी				
					₹234262

रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी
अतः उक्त अभिलेख/वितीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत

नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अभिलेख/वितीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत
को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त समस्त
उक्त वितीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने
अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 17-05-2024 द्वारा पंचायत सचिव से

नहीं किया जा सका।

पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण
विवरण, बैलेंस शीट एवं अन्य वितीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि,
आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्रगति एवं भूतलान खाता, टॉयल बैलेंस, आय एवं व्यय
ग्राम पंचायत बौदेई के नमूना अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले

अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

10.2 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को

अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।
की परीक्षा संचालन सूची से लिये गए हैं। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित करिवार्ड
प्रगतिशील योग नहीं किया गए हैं एवं परिशिष्टों में दर्शाए गये अधशेष व अन्तशेष पंचायत
परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी मेनुअल संधारित रोकडंबहियाँ में अंतशेष, अधशेष व
से किया जा रहा है एवं ऑनलाइन संधारित रोकडंबहियाँ अपूर्ण होने के कारण वह लेखा
में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, समस्त रोकडंबहियाँ का संधारण मेनुअल माध्यम
इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-07 दिनांक 16-05-2024 के प्रत्युत्तर

तथा इससे अनधिकृत समाधान की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
तालिका, वार्षिक वितीय विवरण तथा संचालन पत्र की मई भी विश्वसनीय नहीं रहे जाती
ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय
उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त
किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रहे जाता तथा रोकडंबही, बैंक खाते में

क्र०	रजिस्ट्र/अभिज्ञ	कर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्रावकलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अभिज्ञों का रजिस्ट्र	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्ट्र	21	61(1)	संधारित नहीं

था, जोकि अनियमित व अप्रतिजनक है।

रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिज्ञों का रख-रखाव के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिज्ञों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेख, संकर्म, कराधान व भूसे) नियमावली

10.4 महत्वपूर्ण रजिस्ट्रों/अभिज्ञों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

में लाकर केत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल प्रयुक्त में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व-स्रोत आय व्यय के लिए पृथक इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधिपत्रना संख्या-10 दिनांक 17-05-2024 के जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

3rd/5th स्टेट का एक बैंक खाते एवं एक ही रोकरडबही में संधारण किया जा रहा है। अपनी आय (स्व-स्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अतएव अन्य अनुदानों जैसे वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा से खोले जाने अपेक्षित है।

के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग भूसे) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्रोत) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेख, समरीक्षा, संकर्म, कराधान एवं 10.3 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।
है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर केत अनुपालना से

से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना

दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

होता है क्योंकि गत अवधि में कथ किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके

सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकस्तीत प्रतीत नहीं

सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में कथ स्टोर/स्टॉक का भौतिक

अंकेक्षण अधिव्यावना संख्या-10 दिनांक 17-05-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत

संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरुपयोग की

भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

भी नहीं किया गया है। जिसके बिना वॉउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की

पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार

सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत बौदड़ी की लेखा परीक्षा के दौरान

नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेख, संपरीक्षण, संकर्म, कराधान व भत्ते)

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

किया जायेगा। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत

पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव नियमानुसार

इस बारे अंकेक्षण अधिव्यावना संख्या-10 दिनांक 17-05-2024 के प्रत्युत्तर में

5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्ट्र	-----	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मजदूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्ट्र	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
10.	ग्राम पंचायत का स्टॉक/सामग्री रजिस्ट्र	01 व 06	34	अपूर्ण

31/0/24

11 2 JUL 2024

सहायक निदेशक
(कृषि लाल नीति)
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
हिमाला-171009
दूरभाष-0177-2626670

सहित उक्त इस विभाग को एक माह के भीतर अपना सुनिश्चित करे।
के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके
सहित, ग्राम प्रदायत बौदेही, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्पा, हि0प्र0 को इस आशय
खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्पा, हि0प्र0।
जिला प्रदायत अधिकारी चम्पा, जिला चम्पा, हि0प्र0।
हिमाला-4 को सूचनाएं प्रेषित है।
उप सहित एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधानसभा
है प्रेषित है।
(ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने
निर्देशक, प्रदायती राज विभाग हि0प्र0, कसमटी, हिमाला-171009 को पत्र संख्या 1
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनाएं/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-
पूछांकन संख्या:- फिन (एल0प्र0) एच (पंच) 15 (7) 156/2024 खण्ड-1 दिनांक हिमाला-09
दूरभाष-0177-2626670
हिमाला-171009
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग

पंजीकृत

5

4

3

2

1

3408-3412

31/0/24

11 2 JUL 2024

सहायक निदेशक
(कृषि लाल नीति)
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
हिमाला-171009
दूरभाष-0177-2626670

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पक्षों, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।
13. **निष्कर्ष:-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमितताओं की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लार्ड जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत प्रदायत के गहन जांच की नितात आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

/50

परिशिष्ट "1" पर संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Bunderi for the Year 2022-2023 To 2023-2024
1. Own Source (3rd/5th State FC)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	295404.80	466756.50	762161.30	454122.00	308039.30
2023-24	308039.30	188730.00	496769.30	273288.00	223481.30

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1911303.80	13945640.00	15856943.80	14245325.10	1611618.70
2023-24	1611618.70	12804948.00	14416566.70	12206550.00	2210016.70

नोट: ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिए गए धन, विकास खंड वीसा में उपरोक्त निधियों के अंतर्गत छ: रोकड़ बहियाँ का संयोजन किया जा रहा है।

1+2 (223480.80+2210017.20)

C/B as per Cash Books
C/B as per Bank Passbook
(Less in Bank
Passbook

2433498.00
2254363.20
179134.80

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bunderi
Dev. Block Tissa (Chauraha)

27

21/10/2023 12:14

INCOME STATEMENT OF GP BOUNDERI FOR THE YEAR 2022-2023

Month Grant	SF	RGSA	MMAYG	3rd State	14FC	15FC	SBM	VKVNY	MGNREGA	Total
APRIL	13281.00	245.00	0.00	67200.00	1617.00	14616.00	0.00	0.00	13398.00	110357.00
MAY	1666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	2567337.00	2569087.50
JUNE	0.00	0.00	783.00	0.00	0.00	103918.00	11.00	50000.00	3180.00	157892.00
JULY	0.00	0.00	0.00	78600.00	0.00	0.00	0.00	425000.00	417852.00	921452.00
AUGUST	2310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104766.00	0.00	1349600.00	1890616.00	3347292.00
SEPTEMBER	68417.00	250.00	758.00	0.00	41.00	11890.00	11.00	75000.00	904816.00	1061183.00
OCTOBER	30840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155875.00	0.00	0.00	0.00	186715.00
NOVEMBER	0.00	0.00	0.00	78600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2149597.00	2228197.00
DECEMBER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157149.00	0.00	80000.00	618828.00	855977.00
JANUARY	0.00	0.00	0.00	52400.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	635906.00	838306.00
FEBRUARY	4292.00	0.00	0.00	21000.00	0.00	0.00	0.00	496950.00	761335.00	1283577.00
MARCH	24750.00	0.00	0.00	23400.00	0.00	261915.00	0.00	0.00	542296.00	852361.00
TOTAL	145556.50	495.00	1541.00	321200.00	1658.00	810213.00	22.00	2626550.00	10505161.00	14412396.50

Expenditure Statement of GP BAUNDERI FOR THE YEAR 2022-2023

Month Grant	SF	RGSA	MMAYG	3rd State	14FC	15FC	SBM	VKVNY & Others	MGNREGA	Total
APRIL	3989.00	0.00	0.00	67200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13398.00	84587.00
MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228374.00	0.00	0.00	2567337.00	2795711.00
JUNE	2299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3180.00	5479.00
JULY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238688.00	0.00	483500.00	417852.00	1140040.00
AUGUST	0.00	0.00	54009.00	0.00	0.00	264584.70	0.00	497000.00	1890616.00	2730800.70
SEPTEMBER	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70	0.00	744913.00	904816.00	1743755.70
OCTOBER	6034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251190.00	0.00	181990.00	0.00	439214.00
NOVEMBER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2149597.00	2149597.00
DECEMBER	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00	17.70	1586.00	0.00	618828.00	620925.70
JANUARY	0.00	0.00	0.00	78600.00	0.00	217595.00	0.00	0.00	635906.00	932101.00
FEBRUARY	0.00	0.00	0.00	78600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761335.00	839935.00
MARCH	98800.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575822.00	542296.00	1217301.00
TOTAL	151122.00	0.00	54886.00	303000.00	0.00	1200467.10	1586.00	2483225.00	10505161.00	14699447.10

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bunderi
Dev. Block Tase (Chanchal)

28

52

DATE 12/31

INCOME STATEMENT OF GP BOUNDERI FOR THE YEAR 2023-2024

Month	Grant	SF	JJM	15TH FC	14 FC	MMAYG	3rd State	ICDS	SDP	RGSA	VKNY	MGNREGA	Total
APRIL		13783.00	0.00	5761.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243103.00	1060.00	263982.00
MAY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777280.00	777280.00
JUNE		16859.00	0.00	4177.00	0.00	395.00	80000.00	0.00	0.00	119.00	0.00	1915238.00	2016788.00
JULY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3136.00	3136.00
AUGUST		0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	45000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558684.00	606984.00
SEPTEMBER		0.00	0.00	0.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162016.00	162413.00
OCTOBER		5784.00	0.00	4025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	719765.00	0.00	729695.00
NOVEMBER		0.00	0.00	105721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538800.00	644521.00
DECEMBER		6450.00	0.00	4418.00	0.00	396.00	0.00	25000.00	0.00	122.00	0.00	585840.00	622226.00
JANUARY		10764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486240.00	497004.00
FEBRUARY		10090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4075121.00	4085211.00
MARCH		0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00	25000.00	200000.00	0.00	650000.00	1709040.00	2584438.00
TOTAL		63730.00	3300.00	124102.00	40.00	1586.00	125000.00	50000.00	200000.00	597.00	1612868.00	10812455.00	12993678.00

EXPENDITURE STATEMENT OF GP BOUNDERI FOR THE YEAR 2023-2024

Month	Grant	SF	JJM	15TH FC	14TH FC	MMAGY	3rd State	ICDS	SDP	RGSA	VKNY	MGNREGA	Total
APRIL		0.00	0.00	0.00	2738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249984.00	1060.00	253782.00
MAY		6539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	777280.00	790819.00
JUNE		1500.00	0.00	53530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42150.00	1915238.00	2012418.00
JULY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3136.00	117036.00
AUGUST		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36900.00	558684.00	595584.00
SEPTEMBER		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117709.00	0.00	0.00	0.00	204400.00	162016.00	279725.00
OCTOBER		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662993.00	538800.00	1201793.00
NOVEMBER		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585840.00	585840.00
DECEMBER		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486240.00	627680.00
JANUARY		0.00	0.00	107800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4075121.00	4075121.00
FEBRUARY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1709040.00	1735640.00
MARCH		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26600.00	0.00	0.00	0.00	10812455.00	12479838.00
TOTAL		8039.00	0.00	161330.00	2738.00	0.00	265249.00	26600.00	0.00	0.00	1203427.00	10812455.00	12479838.00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Committee
Dev. Block Tissa Gramtha

29

125

30

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Boudhera
Dev. Block Tissa (Chumbi)

4/5/24

Financial Position Grants in Aids of GP Boudhera for the Year to 2022-2023 To 2023-24									
Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing		
1	MCNREGA	2022-23	0.00	10505161.00	10505161.00	10505161.00	0.00		
		2023-24	0.00	10812455.00	10812455.00	10812455.00	0.00		
2	15TH FC	2022-23	984939.00	810213.00	1795152.00	1200467.10	594684.90		
		2023-24	594684.90	124102.00	718786.90	161330.00	557456.90		
3	14TH FC	2022-23	1040.00	1658.00	2698.00	0.00	2698.00		
		2023-24	2698.00	40.00	2738.00	2738.00	0.00		
4	SBM	2022-23	1564.00	22.00	1586.00	1586.00	0.00		
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	MMAYG	2022-23	110269.00	1541.00	111810.00	54886.00	56924.00		
		2023-24	56924.00	1586.00	58510.00	0.00	58510.00		
6	GENERAL SDP/ICDS/VKVN/ JM/SBM etc.	2022-23	797128.80	2626550.00	3423678.80	2483225.00	940453.80		
		2023-24	940453.80	1866168.00	2806621.80	1230027.00	1576594.80		
7	RGSA	2022-23	16363.00	495.00	16858.00	0.00	16858.00		
		2023-24	16858.00	597.00	17455.00	0.00	17455.00		

ग्राम पंचायत बौदेही, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
औपचारिकताओं को पूर्ण किया बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना (पैरा संख्या 9.3 में
संदर्भित)

Sr.No./H ead	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1.SF	39/ 06-03-23	PVC Sheet with Fitting	-	M/S Krishna Interiors VPO Sarol, Chamba	98800	Tender
2.15th	40/ 09-08-22	Painting	-	Sh. Surrender Singh s/o Sh. Kishan Chand, PO Saikothi, Bhanjratu	20000	Quotations
3.15th	41/ 07-08-22	Bricks, TMT & PVC	-	M/S Avinash Traders PO Ganed, Chamba	26079	Quotations
4.15th	01/30-05- 2022	Tiles	-	M/S Avinash Traders PO Ganed, Chamba	24000	CS,SO
5.15th	02/30-05- 2022	Paint etc.	-	M/S Avinash Traders PO Ganed, Chamba	27000	do
6.15th	06,07&09/ 30-05-22	Stone Carriage	96.64m3@ 800	Sh. Narain Singh s/o Ram Singh PO Bunderi, Tissa Chamba	77312	Tender
7.15th	12/ 30-05-22	Stone Carriage	13.39m3 @800	Sh. Deep S/O Lal Chand PO Bunderi, Tissa Chamba	10712	CS,SO
				Total	283903	

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Boudhehi
Block Tissa (Chamba)

**DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP BOUNDERI FROM WHICH PURCHASE WITHOUT "M" FORM
& NEITHER ROYALTY DEDUCTED
& PROBABLE LOSS OF GST**

01-04-2023 TO 31-03-2024												
SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	RATE OF ROYALTY	ROYLTY NOT PAID	AMOUNT TO BE PAID	PAID GST	
1	Dhani Ram Govt Contractor Village Dhayas P.O.Tarella Tehsil Churah Distt Chamab H.P	MGREGA	NH/ 29-02-2024	Stone Carriage	98.00	219.52	98000.00	80	17561.60	93333.33	4666.67	
2	Deep S/O Lal Chand Vill Shoul P.O. Bounderi Tehsil Churah Distt Chamba H.P	MGREGA	NH/ 29-02-2024	Stone Carriage	145.50	325.92	116400.00	80	26073.60	110857.14	5542.86	
3	Deva S/O Molam Vill Gagei P.O. Bounderi Tehsil Churah Distt Chamba H.P	MGREGA	NH/ 29-02-2024	Stone Carriage	15.00	33.60	15000.00	80	2688.00	14285.71	714.29	
4	Prabh Dyal S/O Ram Dyal V.P.O Bounderi Tehsil Churah Distt Chamba H.P	MGREGA	NH/ 29-02-2024	Stone Carriage	602.00	1348.48	602000.00	80	107878.40	573333.33	28666.67	
5	Narain Singh S/O Ram Singh Vill Thata P.O.Bounderi Tehsil Churah Distt Chamba H.P	MGREGA	NH/ 29-02-2024	Stone Carriage	250.62	561.39	200500.00	80	44911.10	190952.38	9547.62	
6	Ramesh Kumar S/O Rijhu Village Kulala P.O Bounderi Tehsil Churah Distt Chamba H.P	MGREGA	NH/ 29-02-2024	Stone Carriage	850.00	1904.00	188700.00	80	152320.00	179714.29	8985.71	
7	Mast Ram S/O Kishan Vill Shoul P.O. Bounderi Tehsil Churah Distt Chamba H.P	MGREGA	NH/ 29-02-2024	Stone Carriage	196.00	439.04	196000.00	80	35123.20	186666.67	9333.33	
8	M/s Bhag Singh Govt Contractor Vill Shouli P.O.Bounderi Tehsil Churah Distt Chamba H.P	MGREGA	NH/ 29-02-2024	Sand Purchase	232.82	372.51	575470.00	60	22350.72	548066.67	27403.33	
						TOTAL	1992070		408906.62	1897209.52	94860.48	

If Supplier is not mining lease holder than 25% penalty on Amount after April 2022 has been added so rate 80/ton + 25% Penalty = 100 Including Penalty taken

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal

Rate of Royalty is taken Rs80/80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining

Conversion Factor

2 A. From Square Feet to Cubic Meter M3

35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M³)

Common to all items Sand, Stone & Aggregate

3 B. From Cubic Meter (M³) to Tonne

One Cubic Meter (M³) Sand

1.60

One Cubic Meter (M³) Aggregate Mix

1.94

One Cubic Meter (M³) Aggregate

1.46

One Cubic Meter (M³) Stone

2.24

4 All items Sand, Stone & Aggre. average weight are taken for conversion while cubic meter to tonne.

5 As per quotation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared whether it is paid or not

(Signature)
Ganpati Roygar Sewak
G.P. Boudheri
Dev Block Hissa
Distt. Chamba H.P.

(Signature)
Remarks: Due to Carriage of Stone Royalty amount
not considered only TDS calculated

परिशिष्ट - "5"

**ग्राम पंचायत बौद्धी, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश संयुक्त
इस्तेफार के बिना अनिवारित भुगतान करने एवं स्टॉक रजिस्टर में इन्वॉयस न होने वाले
(पैरा संख्या 9.2 व 9.3 में संदर्भित)**

Sr.No./	Vr. No./	Date	Material	Qty./rate	Detail of Supplier	Amount	Remarks
1.SF	39/	06-03-23	PVC Sheet with Fitting	152sqft@650	M/S Krishna Interiors VPO Sarol, Chamba	98800	Joint. Sign
2.15th	40/	09-08-22	Painting	-	Sh. Swender Singh s/o Sh. Kishan Chand, PO Saikothi, Bhanjra	20000	Joint. Sign
3.15th	41/	07-08-22	Bricks, TMT & PVC	-	M/S Avinash Traders PO Ganed Chamba	26079	Joint. Sign & Stock Entry
4.15th	01/30-	05-2022	Tiles	-	M/S Avinash Traders PO Ganed, Chamba	24000	Joint. Sign & Stock Entry
5.15th	02/30-	05-2022	Paint etc.	-	M/S Avinash Traders PO Ganed, Chamba	27000	Joint. Sign & Stock Entry
6.15th	06,07&08/30-05-	22	Stone	96.64m3@800	Sh. Narain Singh s/o Ram Singh PO Bunderi, Tissa Chamba	77312	Joint. Sign
7.15th	12/	30-05-22	Stone Carriage	13.39m3@800	Sh. Deep S/O Lal Chand PO Bunderi, Tissa Chamba	10712	Joint. Sign
					Total	283903	

**Panchayati Samiti
Gram Panchayat Boudhi
Tissa Block, Chamba**

34

58 -